प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 11 जुलाई, 2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी गणः-

1- श्री जितेन्द्र कुमार, आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2- श्री गया प्रसाद, अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3- श्रीमती अनीता मिश्रा, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0शासन।
4- श्री चक्रपाणि, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0शासन।
5- श्री राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0शासन।
6- श्री सुनील कुमार, अनुसचिव, पशुधन, उ0प्र0शासन।
7- श्री ऋषिकेश दुबे, अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0शासन।
8- डा0 ओ0पी0शुक्ला, अतिरिक्त प्राक्टर, लखनऊ विश्वविद्यालय।
9- डा0 पी0एन0पाठ्क, अतिरिक्त डीन, लखनऊ विश्वविद्यालय।
10-डा0 श्रीमती एस0आर0मिश्रा, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा ।
11-उप कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में स्थापित सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने के संबंध में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो, संबंधित विभागों के स्तर से रैगिंग की रोकथाम हेतु निर्गत शासनादेशों एवं उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए रैगिंग पूर्णतया रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए गए। बैठक में चर्चा के उपरान्त पूर्व वर्षो में रैगिंग की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही कराए जाने के निर्देश दिए गएः-

1496
14-8-13

(1)- शैक्षिक सत्र 2013-2014 में संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों, जिसमें 05 छात्र एवं 05 छात्रांए सम्मिलित हों, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनायी गयी सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाए।

(2)- उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीडबैक को गोपनीय रखा जाए तथा उसे ध्यान में रखते हुए संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराए जाए।

-- 2/ --

cc: ⇒ To all chairpersons / Directors of Instts.
kindly ensure compliance of desired actions / systems to be put in place to make the University 'ragging-free'. Let there be no possibility of ragging in the campuses.
RKKhandal
14/8/2013

cc: Registrar GBTU / Pro VC

(3)- सभी नये छात्रों को एस0एम0एस0 की सुविधा प्रदान की जाए तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्थान स्तर पर त्वरित कार्यवाही करायी जाए।

(4)- संस्थान के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डेन की अध्यक्षता में की रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाए तथा इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जाए।

(5)- जिला स्तर पर गठित एन्टी रैगिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुए जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराए जाए। यदि किसी भी संस्थान में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाए।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

राजेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1,
संख्या-2261/सोलह-1-2013-250/96टीसी
लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/पशुधन/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- कुलपति, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय,लखनऊ/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा।
7- कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8- सदस्यगण, राज्य स्तरीय समिति।
9- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
10-निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
12-प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3 ।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)
अनु सचिव।